कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–खैरवाड़ा

क्रमांक : 702 दिनांक : 27/12/2022

श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

विषय : Diversion of 1.63 ha forest land in favour of Public Works Department, Rishabdev, Udaipur for construction of road from Nal to Dungra in Udaipur

प्रंसग : क्षैत्रीय कार्यालय जयपुर के पत्रांक 8B/Raj/06/36/2019/FC दिनांक 16.11.2022 के क्रम में।

महोदय,

आपके द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	विवरण	प्रत्युत्तर
1	No Voilation certificate of concerned DCF shall be submitted in compliance of condition No. 26 of Stage-I approval	कार्यालय उपवन संरक्षक, उदयपुर से संबंधित है
2	The non-forest land transferred and mutated in favour of State Forest Department shall be notified as RF/PF under relevant rules and copy of the notification shall be submitted.	कार्यालय उपवन संरक्षक, उदयपुर से संबंधित है
3	Certificate of Collector under FRA, 2006 is submitted but the enclosures i.e. proceedings of Sub-Divisional Level Committee and Gram Sabha are not submitted.	इस कार्यालय के पत्रांक 71 दिनांक 19.10.2020 को पालना रिपोर्ट के साथ मूल FRA प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है जिसकी फोटो प्रति पुनः संलग्न है।
4	Revised CA scheme as per condition No. 6 of Stage-I approval shall be submitted.	कार्यालय उपवन संरक्षक, उदयपुर से संबंधित है

(मो.युनुस पीरजादा)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि. खण्ड–खैरवाड़ा

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर / **Integrated Regional Office, Jaipur**

ए 218 & बी 216 "अरण्य भवन", झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर - ३०२००४ / A-218& B-216, "ARANYA BHAWAN", Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004
दूरभाष/Tel No: 0141-2713858, 2713786 Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in

File No. 8B/Raj/06/36/2019/FC **Dated:16th November, 2022**

सेवा में,
शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन,
जयपुर, राजस्थान।

(ऑनलाईन क्रमांक **FP/RJ/ROAD/20390/2016**)

विषय: **Diversion of 1.63 ha forest land in favour of Public Works Department, Rishabdev, Udaipur for construction of road from Nal to Dungra in Udaipur.**

सन्दर्भ: शासन सचिव (वन), राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक P.1(54)VAN/2019 दिनांक 15.02.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रस्ताव पर इस कार्यालय के सैद्धांतिक अनुमोदन दिनांक 27.12.2019 का अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित कर केन्द्र सरकार की वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी गयी थी।

अनुपालन प्रतिवेदन के परिक्षणोपरांत यह पाया गया कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण जानकारी/ दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये हैं। अतः राज्य शासन से अनुरोध हैं कि निम्नलिखित आवश्यक जानकारी इस कार्यालय को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करायें:

1. No violation certificate of concerned DCF shall be submitted in compliance of condition No. 26 of Stage-I approval.
2. The non-forest land transferred and mutated in favour of State Forest Department shall be notified as RF/PF under relevant rules and copy of the notification shall be submitted.
3. Certificate of Collector under FRA, 2006 is submitted but the enclosures i.e. proceedings of Sub-Divisional Level Committee and Gram Sabha are not submitted.
4. Revised CA scheme as per condition No. 6 of Stage-I approval shall be submitted.

इस संबंध में राज्य शासन से यह अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी को ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज सहित अपलोड करायें ताकि अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

16/11/2022

(श्रवण कुमार वर्मा)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

<u>प्रतिलिपिः (ई-मेल द्वारा)</u>

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, उदयपुर वनमण्डल, राजस्थान।
3. सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उप खण्ड, ऋषभदेव, उदयपुर, राजस्थान।
4. आदेश पत्रावली।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,सार्वजनिक निर्माण विभाग(ग्रामीण) वृत उदयपुर

दिनांकः– 8|10|2021

कमांकः– 1263

कार्यालय आदेश

श्री आर.पी.लखारा सहायक अभियन्ता ऋषभदेव प्रथम को वन विभाग के अन्तर्गत आने वाली सडक नाल से डूगंरा को वन विभाग से F.C act 1980 Sec 2 के प्रावधानों में प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्ताव आनॅलाईन करने हेतु अधिकृत किया गया था, परन्तु श्री आर.पी.लखारा की पदोन्नती अधिशाषी अभियन्ता पर होने से इनकी जगह मो.युनुस पीरजादा अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड खैंरवाडा को आनॅलाईन संम्बधित सभी कार्य इनके द्वारा संम्पादीत किया जायेगा एवं इनके कार्य क्षेत्र में ही उपखण्ड ऋषभदेव प्रथम आता है। जिनके हस्ताक्षर प्रमाणित है।

मो. युनुस पीरजादा
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड–खेरवाड़ा

हस्ताक्षर

मो. युनुस पीरजादा
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड–खेरवाड़ा

हस्ताक्षर प्रमाणित

(पी.आर.मीना)
अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि.(ग्रामीण)वृत उदयपुर

75

FORM-1

(For Linear Project)

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, UDAIPUR (RAJ.)

No.: प–39/1( )राज/गे.व.भु.प्र./विविध/2017/2064 Dated: 5-07-2018

REVISED TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98 FC (Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein 1-6260 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of PWD department Udaipur is being diverted in lieu of use of 1-6260 hectare of forest land in Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Nirman new road work from Nal to Dungra in District Udaipur. This 1-6260 of land Khasra No. 4070, 4116, 3903, 3906, 3913, 4117 fall in village Somawat within jurisdiction of Rishabdev Tehsil.

It is further certified that :

a. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1-6260 hectare of forest area proposed for diversion, A copy of records of all consultation and meeting of the forest Rights Committee(s) Gram Sabaha(s) Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.

b. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their Consent to it.

c. The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Inc.:- Gram Sabha Samiti
Sub Divisional Samiti
and Distt. Level Samiti

Bishnu Charan Mallick
District Collector
Udaipur (Raj.)

मो. युनुस पीरजादा
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड–खेरवाड़ा

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर

बैठक कार्यवाही विवरण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर द्वारा राजस्व ग्राम– सोमावत ग्राम पंचायत–सोमावत, तहसील–ऋषभदेव, जिला उदयपुर मे नाल से डूंगरा तक सड़क निर्माण कार्य कि.मी. 0/400 से 1/790 एंव 2/390 से 3/750 (2710 मीटर) तक जिसके हाल आराजी नम्बर 4070, 4116, 3903, 3906, 3913, 4073, एवं 4075 कुल क्षेत्रफल 1.63 हैक्टर वन भूमि के संबंध में आज दिनांक 24.5.2017 को जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

उक्त सड़क निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 1.63 हैक्टर वन भूमि के संबंध में ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंषा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है। तद्नुसार नाल से डूगरा सड़क निर्माण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंषा की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	लोकेशन	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नम्बर	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित होने वाली वन भूमि (हैक्टर)	वन अधिकार पत्र जारी/ दावा स्वीकृत / विचाराधीन हो	विशेष विवरण
1.	नाल से डूंगरा सड़क निर्माण कार्य	0/400 से 1/790 एंव 2/390 से 3/750 (2710 मीटर)	सेमावत 4070, 4116, 3903, 3906, 3913, 4073, एवं 4075	सोमावत	1.63	नहीं	ग्राम पंचायत आयोजित ग्राम सभा दिनांक 15.08.2015 एवं उपखण्ड स्तरीय बैठक दिनांक 23.05-2017

उपवन सरक्षक
उदयपुर

(श्री भंवर सिंह पंवार)
(सदस्य)

परियोजना अधिकारी
टी.ए.डी. उदयपुर

(श्री दौलत सिंह कलासुआ(मीणा)
(सदस्य)

जिला कलेक्टर
उदयपुर

(श्रीमती मांगीदेवी)
(सदस्य)

मो. युनुस पीरजादा
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड–खेरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी. ऋषभदेव उदयपुर

बैठक कार्यवाही विवरण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर द्वारा राजस्व ग्राम– सोमावत ग्राम पंचायत–सोमावत, तहसील–ऋषभदेव, जिला उदयपुर मे नाल से डूंगरा तक सड़क निर्माण कार्य कि.मी. 0/400 से 1/790 एंव 2/390 से 3/750 (2710 मीटर) तक जिसके हाल आराजी नम्बर 4070, 4116, 3903, 3906, 3913, 4117 एवं कुल क्षेत्रफल 1.63 हैक्टर वन भूमि के संबंध में आज दिनांक 23-5-2017 को उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

उक्त सड़क निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 1.63 हैक्टर वन भूमि के संबंध में ग्राम सभा एवं वन अधिकार समिति द्वारा की गई अनुशंषा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है। तद्नुसार नाल से डूंगरा सड़क निर्माण हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुशंषा की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	लोकेशन	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नम्बर	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित होने वाली वन भूमि (हैक्टर)	वन अधिकार पत्र जारी / दावा स्वीकृत / विचाराधीन हो	विशेष विवरण
1.	नाल से डूंगरा सड़क निर्माण कार्य	0/400 से 1/790 एंव 2/390 से 3/750 (2710 मीटर)	सेमावत 4070, 4116, 3903, 3906, 3913, 4117	सोमावत	1.63	नहीं	ग्राम पंचायत आयोजित ग्राम सभा दिनांक 15.08.2015

23/05/17

क्षैत्रिय वन अधिकारी
खैरवाडा

पदेन सचिव
विकास अधिकारी ऋषभदेव

उपखण्ड अधिकारी
ऋषभदेव उदयपुर

मन्जु देवी
(श्रीमती मन्जुदेवी)
सदस्य उपखण्ड स्तरीय
वन अधिकार समिति

(विमल प्रकाश मीणा)
सदस्य उपखण्ड स्तरीय
वन अधिकार समिति

( )
सदस्य उपखण्ड स्तरीय
वन अधिकार समिति

मो. युनुस पीरजादा
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड–खेरवाडा

कार्यालय उपखण्ड़ अधिकारी ऋषभदेव जिला–उदयपुर (राज.)

क्रमांक :– रीडर/वन प्रत्या./ 2017/279 दिनांक :– 24.05.2017

प्रेषिति :– श्रीमान जिला कलक्टर महोदय
उदयपुर

विषय :– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत काकन गडावन से खाण्डाफला वन भूमि की (पैकेज नम्बर आर. जे.32 डब्लू. बी. 118) एवं नाल से डुंगरा वन भूमि की (पैकेज नम्बर आर. जे.32 डब्लू. बी. 93) प्रत्यावर्तन हेतु **संशोधित एफ.आर.ए.** प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

प्रसंग :– श्रीमान के पत्र कमांक प.12/3 () राज/2017/897 दिनांक 19.05.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र में दिये गये निर्देशानुसार प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत काकन गडावन से खाण्डाफला वन भूमि की (पैकेज नम्बर आर. जे.32 डब्लू. बी. 118) एवं नाल से डुंगरा वन भूमि की (पैकेज नम्बर आर. जे.32 डब्लू. बी. 93) प्रत्यावर्तन हेतु वनअधिकार समिति बैठक कार्यवाही विवरण तथा **संशोधित एफ.आर.ए.** प्रमाण पत्र संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

24/05/17

(शैलेश सुराणा)
उपखण्ड अधिकारी
ऋषभदेव

मो. युनुस पीरजादा
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड–खेरवाड़ा

(334)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव उदयपुर

क्रमांकः राजस्व / वअ / 2017 / दिनांक :

प्रमाण–पत्र

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.इ.एफ.) भारत सरकार के पत्र संख्या 11–9 / 98 एफसी (पीटी) दिनांक 3 अगस्त 2009, जिसमें कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) द्वारा वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (एम.ओ.ई.एफ.) के तहत वन अधिकार के निपटान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर, निपटान की प्रक्रिया पूर्ण होने के साक्ष्य प्रस्तुत करने की दिशा में यह प्रमाणित किया जाता है कि उदयपुर जिले की ऋषभदेव तहसील के ग्राम नाल से डूंगरा तक प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 2710x 6.00 = 1.63 हैक्टर वन भूमि सडक बनाने हेतु गैर वन के लिए प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

क. तहसील ऋषभदेव के ग्राम नाल से डूंगरा तक ग्राम सोमावत के खसरा नम्बर आराजी नम्बर 4070, 4116, 3903, 3906, 3913 एवं 4117 में. से 2710 x 6= 1.63 हैक्टर वन भूमि जो कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है, के लिए वनाधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों की पहचान और निस्तारण के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। जिसके अनुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत सोमावत की ग्राम सभा द्वारा भूमि प्रत्यावर्तन का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। (संलग्न ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति एवं सरपंच ग्राम पंचायत सोमावत से प्राप्त प्रमाण पत्र)।

ख. उपर्युक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तहसील ऋषभदेव की ग्राम पंचायतों में (पूर्ण परियोजना के विवरण और उसके प्रभाव के साथ स्थानीय भाषा में) एफ.आर.ए. की प्रासंगिकता के तहत पात्र, वनवासियों से सम्बन्धित ग्राम सभा में रखा गया है। तथा ग्राम पंचायत सोमावत (1. के अध्यधीन) सोमावत की ग्राम सभा द्वारा भूमि को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया।

ग. तहसील ऋषभदेव से सम्बन्धित ग्राम सभा ने प्रासंगिकता के तहत सभी औपचारिकताएँ / प्रक्रियाओं के अपनाते हुए प्रस्तावित प्रत्यावर्तन के उद्देश्यों को विस्तृत रूप से समझकर विकास और मुआवजा (यदि कोई हो) के उपाय करने एवं प्रस्तावित प्रत्यावर्तन के लिए अपनी सहमति दे दी है एवं प्रमाणित किया है।

घ. तहसील ऋषभदेव में ग्राम सभा में ग्राम पंचायत सोमावत में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि पर पूर्ण कोरम होने के पश्चात् विधिवत सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर सशर्त अनापत्ति दी गई है।

इ. वनाधिकार अधिनियम की धारा 3(2) के तहत जरूरी सरकार द्वारा प्रबन्धित सुविधाओं के लिए वन भूमि का प्रत्यावर्तन हो चुका है और ग्राम पंचायत सोमावत की ग्रामसभा ने यह करने की अपनी सहमति दे दी है।

ई. लागू नहीं है।

23/05/17

उपखण्ड अधिकारी
ऋषभदेव–उदयपुर

मो. युनुस पीरजादा
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड–खेरवाड़ा

ग्राम-सभा - 22-11-2016

आज दिनांक 22-11-2016 को ग्राम पंचायत सोमावत में सामुदायिक भवन सभाकक्ष में ग्राम सभा का आयोजन किया गया।
पंचायत समिति ऋषभदेव से प्राप्त आदेशानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमो की लेखा परीक्षा नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत के भीतर मनरेगा योजनान्तर्गत संचालित समस्त कार्यों एवं इन्द्रा आवास योजना का सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम सभा का आयोजन किया गया।
ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच साहिब सुश्री मिनाक्षी मीणा ने की।

उपस्थित अधिकारी कर्मचारी

(1)			
(2)			
(3)	संगीता देवी	वार्ड पंच वार्ड नं० 1	संगीता
(4)	बाबु लाल	वार्ड पंच वार्ड 2	बा[illegible]
(5)	मणीलाल	वार्ड पंच वार्ड 3	
(6)	शान्तीलाल	वार्ड पंच वार्ड 4	शान्ती[illegible]
(7)	श्रिमती गीतादेवी	वार्ड पंच वार्ड 5	गीता
(8)	मीरा देवी	वार्ड पंच वार्ड 6	मीरादेवी
(9)	अमृत लाल	वार्ड पंच वार्ड 7	अमृतलाल

प्र०नं०1 आज की ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के प्रस्ताव लिया की ग्राम पंचायत सोमावत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सोमावत माल से डुंगरा फला तक स्वीकृत सड़क निर्माण में आने वाली भूमि 1.63 है जो वन विभाग के नाम से दर्ज है। इस सड़क निर्माण में आने वन विभाग भूमि रकबा 1.63 है

प्रविन्द लाल

कुरा

मुकेश

शान्ति

मो. युनुस पीपलावा
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड–खेरवाड़ा

सचिव

सरपंच
ग्राम पंचायत, सोमावत
पं. स. ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

	के बजाय ग्राम सोमावत की आराजी नम्बर 5174 रकबा 1.19 है० किस्म बिलानाम पहाड़ आराजी नम्बर 5226 रकबा 0.89 है कुल किता 2 रकबा 2.08 है० भूमि वन विभाग के दर्ज कि जाती है तो ग्राम पंचायत सोमावत को कोई आपत्ती नही है। ग्राम सभा द्वारा इस प्रस्ताव का सर्व सम्मती से अनुमोदन किया गया। आसडक पर वन अधिकार अधिनियम के तहत कार्य व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार दावा स्वीकृत नहीं किया गया है। और नहीं वर्तमान में विचाराधीन है।	मैगा हीमा जीवा धर्मा शंकर
प्र०१० २	आज की बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को सामाजिक अंकेक्षण कमेटी के सदस्यों द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी योजना के बारे में उपस्तीथ सदस्यों को बताया गया इसके बाद सामाजिक अंकेक्षण की टीम द्वारा ग्राम पंचायत सोमावत के महा नरेगा सम्बन्धीत सभी कार्यो का निरक्षण किया गया। सामाजिक अंकेक्षण टीम द्वारा सभी कामो के मस्ट्रोल बताये गये। इस के बाद ग्राम सभा में उपस्तीथ सदस्यो को मस्ट्रोल जहां - जहां पर कार्य हुआ उन्हे पढ कर सुनाया गया। इसके बाद उपस्थित टीम द्वारा एक चीज का भौतिक सत्यापन किया गया। जोब कार्ड रजीस्टर पंजीयक रजीस्टर परिसम्पत्ती रजीस्टर शिकायत रजीस्टर स्टोक रजीस्टर कार्य नरेगा से सम्बन्धित सभी रजीस्टर को ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों को पढकर सुनाया गया।	माना प्रतापा लक्ष्मण कावचन्द जीवा नगा

मो. युनुस पीरजादा
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-खेरवाड़ा

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत, सोमावत

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत, सोमावत
पं. स. ऋषभदेव, जि.-उदयपुर (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत,सोमावत
पं. स. ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत, सोमावत
पं. स. ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)